Scheme, Scheme for Eradication of Rinderpest, Cross-breeding of cattle in hilly and high rain-fall areas, distribution of breeding bulls etc. A number of schemes have also been taken up for the collection of milk from rural areas for supply to big cities.

दिल्ली में पश्चिमी यमुना को मिलाने वाला नाला

१५७६. **श्री बागड़ी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से लगभग १४ मील दूर जी० टी० रोड पर अलीपुर नामक गांव के सिंचाई संकट को मिटाने के लिये सन् १९५४ में दिल्ली प्रशासन ने पश्चिमी यमुना से एक नाला खुदवाया था जिस में अभी तक पानी नहीं दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक सरकार इस में पानी देने का विचार रखती है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). नाहरी मुख्य उपनहर का १९५४-५५ में निर्माण हुआ था और १९५५ में चालू कर दी गई थी। इस उपनहर से विविध ग्रामों की ४१४८ एकड़ भूमि की सिंचाई होती है; इस में दिल्ली राज्य में अलीपुर भी सम्मिलित है। इस चैनल का चलना नदी में पानी की मात्रा पर निर्भर है और चूंकि नदी का पानी इस वर्ष कुछ देर के बाद चढ़ा, यह नहर १७ जून से पहले नहीं खोली जा सकी ।

डाक सेवा

१५७७. **श्री उटिया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वायुयानों द्वारा देश में डाक भेजने की व्यवस्था करने में सरकार को क्या अड़चनें हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : सामान्य रूप से कोई अड़चनें नहीं हैं, किन्तु कभी-कभी किसी विशेष वायुयान में स्थानाभाव के कारण कुछ डाक रोक लेनी पड़ती है ।

मालगाड़ी से यात्रा के लिये क्षतिपूरण बन्ध लिखना

१५७८. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि कोई मुसाफिर सवारी गाड़ी से रह जाये और उस को माल गाड़ी से जाना पड़े तो उस के लिए स्टाम्प पर क्षतिपूरण बन्ध भर कर देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पहाड़ी लाइनों पर जहां अदालतें दूर-दूर स्थित हैं इस प्रकार के स्टाम्प लेने की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ; और

(ग) क्या सरकार ऐसी स्थिति में इस शर्त को हटाने का विचार करेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जिन यात्रियों की गाड़ी छूट जाती है और वे उस के बाद की दूसरी सवारी गाड़ी से यात्रा कर सकते हैं । माल गाड़ी के ब्रेक वान में यात्रा करने की अनुमति केवल विशेष और आपातिक परिस्थितियों में और क्षतिपूरण-बन्ध (Indemnity Bond) भरने के बाद ही दी जाती है। इन क्षतिपूरण-बन्धों पर स्टाम्प जरूरी नहीं है और इन के भरने में कोई कठिनाइयां या शिकायतें नोटिस में नहीं आई हैं ।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) में जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए सवाल नहीं उठता ।